बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

:—संकल्पः—

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत सरिस्ताबाद से पछैती तक पथ निर्माण कार्य की मुख्य अभियंता–1 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति से जॉच कराई गई। समिति का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता–1 के पत्रांक 4156 दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पथ में सरकारी भूमि की उपलब्धता की जॉच किये बिना ही मनमाने तरीके से प्राक्कलन तैयार करने एवं उसी प्राक्कलन पर योजना का कार्य प्रारंभ करने संबंधी आरोपों पर श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1935 दिनांक 11.09.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा प्राक्कलन में निहित प्रावधानों की जॉच की गई थी, जो स्थल के आवश्यकता अनुसार थी। प्रमंडल कार्यालय में कोई अमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन के स्वामित्व का पता नहीं चल सका। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का उक्त आरेखन पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया एवं किसी विपत्र का भुगतान नहीं किया गया।

3. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों की समीक्षा की गयी मामले की समग्र समीक्षोपरांत पाया गया कि एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत 0.470 कि0मी0 लंबी सरीस्ताबाद से पछैती तक पथ का निर्माण नहीं हो पाया है तथा पछैती बसावट को अभी तक सम्पर्कता प्राप्त नहीं है इस पथ का एकल सम्पर्कता प्रमाण पत्र पर श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा पथ की जॉच किये बिना सरकारी भूमि उपलब्ध होने के संबंध में एकल सम्पर्कता प्रमाण पत्र दिया गया। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है। तद्‌लोक में श्री कुमार के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–2855 दिनांक 11.11.2024 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 17.12.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में श्री कुमार द्वारा उल्लेख किया गया है कि कार्य की महत्ता एवं वरीय पदाधिकारियों के दिशा–निर्देश के आलोक में प्राक्कलन का गठन तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रमंडल में संलग्न कंसलटेंट Falak Associats Pvt. Ltd. द्वारा किया गया था, जिसे अग्रसारित उनके द्वारा किया गया था। श्री कुमार द्वारा डी0पी0आर0 के प्रथम पृष्ठ को संलग्न करते हुए कहा गया कि इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में उनपर आरोप नहीं बनता है। श्री कुमार द्वारा यह भी कहा गया है कि संसूचित दंड का कुप्रभाव अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उन्हें दिये जाने वाले प्रोन्नति पर पड़ेगा।

5. श्री कुमार के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा बरती गयी कर्त्तव्यहीनता को Consultant पर Shift करने का प्रयास किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/01/25

(डॉ0 फातेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/01/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :– श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 1009 /पटना/दिनांक :– 28-1-25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/25
संयुक्त सचिव